



ऑपरेशनल ऑफिस कंप्लेक्स,
चिरंजीबपुर,
हल्दिया-721604,



श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता
Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata
हल्दिया गोदी परिसर

Haldia Dock Complex
टी० ओ० (शि० एवं कार्गो है०) डिवीजन
T.O. (Sh&CH) Division

Operational Office Complex,
Chiranjibpur, Haldia-721604,
Dist. Purba Medinipur.



No: TO(Sh&CH)/10/Pt-II/835

Date: 02.05.2024

व्यापार परिपत्र / Trade Circular

विषय: हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स (एचडीसी) एवं विदेशी ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कोलंबो, सिंगापुर, पोर्ट केलांग और किसी भी भारतीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के बीच फॉरेन संचालन के तहत कंटेनर फीडर जहाजों के लिए जहाज संबंधी शुल्क पर रियायत।

Sub: Concession on Vessel related charges for Container Feeder Vessels under Foreign run and plying between Haldia Dock Complex (HDC) and Foreign Transshipment Ports of Colombo, Singapore, Port K'lang and any Indian Transshipment Port.

सर्व साधारण को सादर सूचित किया जाता है कि एसएमपी, कोलकाता के सक्षम प्राधिकारी ने हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स (एचडीसी) एवं विदेशी ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कोलंबो, सिंगापुर, पोर्ट केलांग और किसी भी भारतीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के बीच फॉरेन संचालन के तहत कंटेनर फीडर जहाजों के लिए वेसल रिलेटेड चार्जेज यानी पोर्ट ड्यूज, बर्थ हायर चार्ज, और टोवेज और पायलटेज चार्जेज पर रियायत को मंजूरी दे दी है। यह रियायत दिनांक 01.05.2024 से 2 वर्ष की अवधि के लिए लागू है, और 1 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। रियायत इस प्रकार है:

प्रति एकल कॉल टीईयू की संख्या	601-1,000 टीईयू	1,001 टीईयू और इसके ऊपर
रियायत दर	20%	30%

उक्त रियायत योजना एचडीसी पर प्रति एकल कॉल पर उपरोक्त टीईयू प्राप्त करने वाले कंटेनर जहाजों के लिए लागू होगी। इसके अलावा, यह पिछले ट्रेड सर्कुलर क्रमांक TO(Sh&CH)/10/23 दिनांक 03.01.2024 के अनुरूप सीधी सेवाओं के लिए रियायती योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले कंटेनर जहाजों पर लागू नहीं होगा।

सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध है कि उपरोक्त कथन के अनुसार निर्देशित हों।

It is hereby informed that the Competent Authority of SMP, Kolkata has approved concession on Vessel Related Charges i.e., Port Dues, Berth Hire charges and Towage & Pilotage charges for Container Feeder Vessels under Foreign run, plying between Haldia Dock Complex (HDC) and Foreign Transshipment Ports of Colombo, Singapore, Port K'lang and any Indian Transshipment Ports. The concession is applicable for a period of 2 years w.e.f. 01.05.2024 and shall be reviewed after 1 year. The concession is as follows:

Number of TEUs per Single Call	601-1,000 TEUs	1,001 TEUs and above
Concession Rate on Vessel related charges	20%	30%

The said concession scheme shall be applicable for Container Vessels achieving the aforementioned TEUs on per single call at HDC. However, it will not be applicable for Container Vessels qualifying for the Concession Scheme for Direct Services in line with the earlier Trade Circular bearing No. TO(Sh&CH)/10/23 dated 03.01.2024.

All concerned are requested to be guided accordingly.

पी. गुप्ता

पी. गुप्ता / P. Gupta

वरिष्ठ उप प्रबंधक (शिो एवं कार्गो हैंो) / Sr. Deputy Manager (Sh & CH)

Distribution:

- The President, The Association of Shipping Interest in Calcutta (ASIC), 6, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700001 (Fax 033-40128989) for information please.
 - All Container Vessel Agents/Container Lines/C&F Agents: For information and necessary action please
-
- Copy to General Manager (Traffic)/General Manager (Finance)/General Manager (Marine Ops.) : for information please.
 - Copy to Sr. Deputy Manager (Finance) : for information please.